

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
{समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

आप.प्र.क्र. : 238 / 2015
संस्थित दि: 24 / 03 / 15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आबकारी वृत्त बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

पार्वतीबाई पति मंगलसिंह उम्र 32 साल जाति गोंड,
निवासी सरेखा थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.).

..... आरोपीया

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 24 / 03 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीया पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपीया दिनांक 25 / 02 / 2015 को समय 02:00 बजे स्थान सरेखा थाना बैहर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में पांच लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना आज्ञा अथवा अनुज्ञा-पत्र के रखे हुए पायी गयी।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आबकारी उपनिरीक्षक ए.के.माहोरे को दिनांक 25.02.2015 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सरेखा में रहने वाली पार्वतीबाई अपने कब्जे में अवैध रूप से शराब रखे हुये है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर समयाभाव के कारण बिना तलाशी वारण्ट प्राप्त कर हमराह स्टाफ को साथ मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर तलाशी लेने पर आरोपीया के कब्जे से एक प्लास्टिक की जरीकेन में पांच लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब पायी गई। आरोपीया से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपीया ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से

आरोपीया से उक्त शराब को जप्त कर आरोपीया को गिरफ्तार कर, आरोपीया के विरुद्ध 308/15 की कायमी कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीया के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपीया को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीया को पढकर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपीया के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपीया दिनांक 25/02/2015 को

समय 02:00 बजे स्थान सरेखा थाना बैहर के

अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की

जरीकेन में पांच लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची

महुआ शराब अवैध रूप से बिना आज्ञाप्ति अथवा

अनुज्ञा-पत्र के रखे हुए पायी गयी ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

(05) आरोपीया को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीया को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीया ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।

(06) आरोपीया द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीया को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।

(07) अभियोजन द्वारा आरोपीया के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपीया का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीया के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपीया को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(08) आरोपीया को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 700/- (सात सौ रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।

(09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपीया को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे ।
अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे ।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)